न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 20/2025(GCMS : 2025/24)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटैड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड, नजदीक गौड़ हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता सतनाम सिंह पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर

बनाम

1. **चंद सिंह** पुत्र लाल सिंह निवासी वार्ड नं. 2, 67 एलएनपी रिड़मलसर, जिला श्रीगंगानगर पिन 335061
2. **कान्तो बाई** पत्नी चन्द सिंह निवासी 67 एलएनपी रिड़मलसर, जिला श्रीगंगानगर पिन 335061

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहंदीरत्ता एवं गरिमा बंसल ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण चंद सिंह एवं कान्तो बाई को ऋण सुविधा के रूप में 2.10/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 13.08.2024 को 2,02,537/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी चंद सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 1887, सब रजिस्ट्रार, बींझबायला, ग्राम पंचायत रिड़मलसर, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 2250 सक्वायर फीट, जिसका आसापासा पूर्व में प्लॉट नं. 54, पश्चिम में सड़क, उत्तर में प्लॉट नं. 53 का हिस्सा, दक्षिण में सड़क है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण चंद सिंह एवं कान्तो बाई** को ऋण सुविधा के रूप में 2.10/– लाख रूपये **(अखरे रूपये दो लाख दस हजार मात्र) की स्वीकृति** दिनांक 21.06.2022 को प्रदान की गई थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी चंद सिं[illegible] अ[illegible] **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 1887, सब रजिस्ट्रार, बींझबायला, ग्राम पंचायत रिड़मलसर, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 2250 सक्वा[illegible] फीट, जिसका आसापा[illegible] में प्लॉट नं. 54, पश्चिम में सड़क, उत्तर में प्लॉट नं. 53 का हिस्सा, दक्षिण में सड़क है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:25:44 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.08.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी चंद सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 1887, सब रजिस्ट्रार, बींझबायला, ग्राम पंचायत रिड़मलसर, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 2250 सक्वायर फीट, जिसका आसापासा पूर्व में प्लॉट नं. 54, पश्चिम में सड़क, उत्तर में प्लॉट नं. 53 का हिस्सा, दक्षिण में सड़क है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 16.08.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 16.08.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.08.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इस [illegible] भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी चंद सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:25:44 IST
Reason: SelfAttested

Manju

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 20/2025
(GCMS No. : 2025/24)

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी चंद सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 1887, सब रजिस्ट्रार, बींझबायला, ग्राम पंचायत रिड़मलसर, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 2250 सक्वायर फीट, जिसका आसापासा पूर्व में प्लॉट नं. 54, पश्चिम में सड़क, उत्तर में प्लॉट नं. 53 का हिस्सा, दक्षिण में सड़क है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:25:44 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर